रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1048] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2011/ज्येष्ठ 11, 1933

No. 1048] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2011/JYAISTHA 11, 1933

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई , 2011

**का.आ. 1252(अ).**—कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 के और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप कयर उद्योग अधिनियम, 1953(1953 का 45) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 478 (अ) तारीख, 4 मार्च, 2011 द्वारा प्रकशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी और सूचना दी गई थी कि उक्त प्रारूप पर उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

और जनता से उक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, कयर उद्योग अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

### नियम

**1. संक्षित नाम और प्रारंभ:—** ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कयर उद्योग (पंजीकरण) संशोधन नियमावली, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 में, —

(क) नियम 5 में "प्रमाणपत्र में इसके लिए आबंटित पृथक पंजीकरण संख्या" शब्दों के स्थान पर "प्रमाणपत्र में इसके लिए आबंटित सुभिन्न पंजीकरण संख्या" को सम्यक रूप से भरे गए और अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थित आवेदन की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 17 के उप-नियम (4) में "प्रमाण-पत्र जारी करेगा" शब्दों से पहले "पंद्रह दिन के भीतर" शब्द अंत-स्थापित किए जाएंगे;

(ग) नियम 19 के पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु अध्यक्ष, अधिकतम केवल छह हजार रुपये के अध्यधीन, पहले मास या उसके भाग के विलंब के लिए दस रुपये; दूसरे मास या उसके भाग के विलंब के लिए बीस रुपये; तीसरे मास या उसके भाग के विलंब के लिए चालीस रुपये; चौथे मास या उसके भाग के विलंब के लिए अस्सी रुपये अतिरिक्त फीस के संदाय पर और इसी तरह आगे तक, विद्यमान प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार कर सकेगा । "

[फा. सं. 6(25)/2000-कयर (वाल्यूम. II)]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2061(अ), तारीख 18 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चात्वर्ती का.आ. 3016(अ) तारीख 26 नवंबर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए ।

## MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2011

**S.O. 1252(E).**—Whereas the draft of certain rules further to amend the Coir Industry (Registration) Rules, 2008, was published as required by sub-section (1) of Section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) in the notification of Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 478(E), dated 4th March, 2011 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby and notice was given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas no objection or suggestion has been received from the public on the said draft within the said period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 26 of the Coir Industry Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coir Industry (Registration) Rules, 2008, namely :—

### RULES

**1. Short Title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Coir Industry (Registration) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coir Industry (Registration) Rules, 2008, —

(a) in rule 5, for the words "distinctive registration number allotted to it in the certificate" the words "distinctive registration number allotted to it in the certificate within forty five days of the receipt of application duly filled up and supported by requisite documents" shall be substituted;

(b) In rule 17, in sub-rule (4), after the words "issue a certificate" the words "within fifteen days" shall be inserted;

(c) In rule 19, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the Chairperson may entertain an application for renewal of the existing certificate on payment of an additional fee of rupees ten for the delay of first month or part thereof; rupees twenty for the delay of second month or part thereof; rupees forty for the delay of third month or part thereof; rupees eighty for the delay of fourth month or part thereof and so on subject to a maximum of rupees six thousand only".

[F. No. 6(25)/2000-Coir (Vo.II)]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

**Note:**— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 2061(E) dated the 18th August, 2008 and subsequently amended *vide* S.O. 3016(E) dated 26th November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.